

V8.14072
116/04
116/04

विनं. सं. 3.44

23.2.04



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 350
Km. 30
Depth - 100
CPB. 220

सं. 77]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2004/माघ 28, 1925

No. 77]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2004/MAGHA 28, 1925

6
पूरा किया

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 6 फरवरी, 2004

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(Central Office)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 6th February, 2004

प्रकारी
रा० वि० ए० क

सा.का.नि. 119(अ).—29 नवम्बर, 2001 के सं. सा.का.नि.

4(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के 29 नवंबर, 2001 की अधिसूचना सं० फेमा० 46/2001-आरबी प्रकाशित की गई।

(i) विनियम 1 में, खंड (ii) में, "तत्काल लागू होंगे" शब्दों के लिए "यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे" शब्द प्रतिस्थापित और पठित।

(ii) अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 की सं. सा.का.नि. 406(अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और 20 सितंबर, 2001 के सं. सा.का.नि. 574(अ) द्वारा अंतिम संशोधन।"

उपरोक्त के अनुसार सुधारित और संशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेंगे।

[सं. 1/23/ई सी/2000-खण्ड-II]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

G.S.R. 119(E).—In the Notification No. FEMA 46/2001-RB dated 29th November, 2001 of the Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G. S. R. 4(E) dated 29th November, 2001.

(i) In Regulation 1, in clause (ii), for the words "They shall come into force with immediate effect", the words "They shall come into force from the date of publication in the Gazette", shall be substituted and read.

(ii) At the end of the Notification, the following shall be added :

"Foot-note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G. S. R. 406(E) dated 03-05-2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently last amended vide No. G. S. R. 574(E) dated 20th September, 2001."

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[No. 1/23/EC/2000- Vol. II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 6 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 120(अ).—5 दिसम्बर, 2001 के सं. सा.का.नि. 5(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के 5 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० फेमा० 47/2001-आरबी प्रकाशित की गई।

(i) विनियम 1 में, खंड (ii) में, "तत्काल लागू होंगे" शब्दों के लिए "यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे" शब्द प्रतिस्थापित और पठित।

(ii) अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 की सं. सा.का.नि. 393 (अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में प्रकाशित की गई थी और 27 फरवरी, 2001 के सं. सा.का.नि. 200(अ) द्वारा अंतिम संशोधन।"

उपरोक्त के अनुसार सुधारित और संशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेंगे।

[सं. 1/23/ई सी/2000-खण्ड-II]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 6th February, 2004

G.S.R. 120(E).—In the Notification No. FEMA 47/2001-RB dated 5th December, 2001 of the Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 5(E) dated 5th December, 2001.

(i) In Regulation 1, in clause (ii), for the words "They shall come into force with immediate effect", the words "They shall come into force from the date of publication in the Gazette", shall be substituted and read.

(ii) At the end of the Notification, the following shall be added :

"Foot-note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 393(E) dated 03-05-2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently last amended vide No. G.S.R. 200(E) dated 27th February, 2001."

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[No.1/23/EC/2000- Vol. II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 6 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 121(अ).—15 जनवरी, 2003 के सं. सा.का.नि. 34 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के 15 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं० फेमा० 79/2003-आरबी प्रकाशित की गई।

"पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली मई 8, 2000 की सा.का.नि. सं. 456 (अ) के अनुसार राजकीय राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और 24 अप्रैल, 2002 के सं. सा.का.नि. 475(अ) द्वारा अंतिम संशोधन।"

उपरोक्त के अनुसार सुधारित और संशोधित प्रधान विनियमावली प्रभावी रूप से लागू रहेंगे।

[सं. 1/23/ई सी/2000-खण्ड-II]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 6th February, 2004

G.S.R. 121(E).—In the Notification No. FEMA 79/2003-RB dated 15th January, 2003 of the Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 34(E) dated 15th January, 2003, the following shall be added at the end :

"Foot-note : The Pricipal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 456(E) dated 08-05-2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently last amended vide No. G.S.R. 475(E) dated 24th April, 2002."

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[No.1/23/EC/2000- Vol. II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director